उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-30/2017/19/92-2-2017-14जॉच/2016
लखनऊ :: दिनांक:: 28 फरवरी, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बाराबंकी के कार्यकाल के दौरान कार्यालय परिसर में लगे पेडो को अनियमित ढंग से कटवाने की अनियमितता में प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-68/2016/1938/92-2-2016-14जांच/2016, दिनांक 21-10-2016 द्वारा श्री एस0के0 सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता (स्टोर), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बाराबंकी(सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरूद्व सिविल सर्विस रेगुलेशन (सी0एस0 आर0) के अनुच्छेद-351ए के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया।

2- जॉच अधिकारी/निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-जी-1061/ग्रा0अ0वि0/स्था0-1/समूह-क/2016-17 दिनांक 30-12-2016 द्वारा किये गये अनुरोध के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त जांच अधिकारी परिवर्तित करते हुये निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के स्थान पर श्री दिनेश कुमार, अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-फैजाबाद को एतद्द्वारा जांच अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (दो प्रतियों में) एक माह में शासन में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-30/2017/19(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- पूर्व जॉच अधिकारी/ निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र सं0-जी-1061/ ग्रा0अ0वि0/स्था0-1/समूह-क/2016-17 दिनांक 30-12-2016 के संदर्भ में।

2- जॉच अधिकारी/श्री दिनेश कुमार, अधीक्षण अभियंता, ग्रा0अभि0वि0, परि0-फैजाबाद को निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र सं0- जी-1061/ग्रा0अ0वि0/स्था0-1/समूह-क/2016-17 दिनांक 30-12-2016 **(प्रति संलग्न)** द्वारा उपलब्ध कराये गये समस्त अभिलेख इस निर्देश के साथ प्रेषित कि शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-68/2016/1938/92-2-2016-14जांच/2016, दिनांक 21-10-2016 द्वारा श्री एस0के0 सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता (स्टोर), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बाराबंकी (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में नियमानुसार जॉच की कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या शासन को एक माह में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3- मुख्य अभियंता (पू0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

4- श्री एस0के0 सिंह तत्कालीन सहायक अभियंता,(स्टोर), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बाराबंकी सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5- अनुसचिव, ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बाबू राम)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in